सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
देरावरसिंह दत्तक पुत्र मानसिंह जाति राजपुत, निवासी स्वामी का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		कमलसिंह पुत्र जवारसिंह जाति राजपुत, निवासी स्वामी का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर** **585/2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.2025	प्रार्थी अधिवक्ता श्री अभयसिंह राठौड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा स्वामी का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 12/191 रकबा 8.7412 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/3 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है तथा मौके पर अपने हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथमः दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से बहामी तौर पर बंटवारा भी किया हुआ है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है। वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने से विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थी को बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है तथा मौका स्थिति में परिवर्तन कर नवीन निर्माण कार्य करने पर आमादा है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थी के खातेदारी हक हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक प्रवेश कर प्रार्थी को बेदखल किया जाता है अथवा भूमि में नव निर्माण किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थी मौके पर अपने हक हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जाकर उन्हें बेदखल किया जाता है अथवा भूमि की विभाजन पूर्व मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा स्वामी का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 12/191 रकबा 8.7412 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 5/1/26 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.1.26	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी केदीगर कार्यो मे व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 12.2.26 को पेश हो।	
12.02.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तामिली हेतु दिनांक 12.03.26 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
12.3.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दि॰ 27.4.26 को पेश हो।	
27.04.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस व डिलेवरी रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का इन्तजार होकर दिनांक 11.05.26 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
11.05.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दि॰ 25.5.26 को पेश हो।	
25.05.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली में प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर अपने हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर नवीन निर्माण कार्य करने पर आमादा होने तथा भूमि का बेचान करने पर आमादा होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जावे। प्रार्थी वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर अपने कब्जा काश्त में काबिज होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। साथ ही यदि विवादित भूमि मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता तथा मौके पर तनाव विवाद की स्थिति पैदा होगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 30.12.2025 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को मूल वाद निस्तारण तक जारी रखा जाकर ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ शामिल हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	